रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/ पौष 14, 1938
No. 09] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 3 जनवरी, 2017

सं. सेबी/ एल. ए. डी.-एन.आर. ओ./जी. एन./2016-17/028.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (आईएफएससी) लिमिटेड, यूनिट 22, ज़ोनल फैसिलिटी सेंटर एनेक्स, ब्लॉक 12, रोड 1-डी, ज़ोन-1, गिफ़्ट एसइज़ेड, गिफ्ट सिटी, गाँधीनगर - 382 355, गुजरात द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2012 के विनियम 4 के अधीन मान्यता प्रदान करने के आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा, प्रतिभूति बाजार के हित में होगा और ऐसा करना लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8क की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त समाशोधन निगम को मान्यता 29 दिसम्बर, 2016 को प्रारंभ होने वाले और 28 दिसम्बर, 2017 को समाप्त होने वाले एक वर्ष के लिए इसमें नीचे कथित शर्त अथवा जो इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जायें के अध्यधीन प्रदान करता है।

- समाशोधन निगम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा ।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/365/16]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd January, 2017

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/028.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application for grant of recognition under Regulation 4 of the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 by India International Clearing Corporation (IFSC) Ltd, Unit No. 22, Zonal Facility Centre Annexe, Block No. 12, Road No. 1-D, Zone-1, GIFT SEZ, GIFT City, Gandhinagar–382 355, Gujarat and being satisfied that it would be in the interest of the trade, in the interest of securities market and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 read with sub-section (4) of section 8A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, recognition to the said clearing corporation for one year, commencing on the 29th day of December, 2016 and ending on the 28th day of December, 2017, subject to the condition stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:

- The Clearing Corporation shall comply with conditions specified by SEBI from time to time.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./365/16]

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.01.05 19:03:02 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.